fax dated- 25-7-2013

शाक प्राप्ति संख्या 992/SLSA/13

दिनांक 27-7-2013

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–3
संख्या–4520 / XX–3–2012–05(09)2011
देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) की धारा 357–"क" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार से समन्वय कर एतद्द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या अभिघात हुआ हो, की सहायता एवं पुनर्वास के उद्देश्य से कोष उपलब्ध कराने के लिए सहर्ष निम्न योजना निर्मित करते हैं :–

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 है।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं

2. इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "**अधिनियम**" से दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है ;

(ख) "**अनुसूची**" से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(घ) "**पीड़ित**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अपराध, ऐसिड अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, इसमें पीड़ित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

अपराध से पीड़ित सहायता कोष

3. (1) राज्य सरकार, अपराध से पीड़ित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को, जिनकी ऐसिड़ अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को **अनुसूची 1** में दी गई धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी, जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

Ravi

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
27-7-2013

(3) सहायता कोष में विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों, दान, उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

(4) सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

सहायता के लिए अर्हता

4. सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे; यदि–

(क) अपराधी नहीं पकड़ा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नहीं हुई हो किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नहीं हुआ हो, ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा 357–"क" की उपधारा (4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा;

(ख) पीड़ित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है;

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी;

(ग) पीड़ित/दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करे।

सहायता प्रदान करने की प्रकिया

5. (1) जब कभी न्यायालय द्वारा कोई संस्तुति की जाती है अथवा अधिनियम की धारा 357–"क" की उपधारा (2) के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले का परीक्षण करेगा और मामले के संसूचित आपराधिक गतिविधि के मध्य पीड़ित को उत्पन्न हुई हानि या क्षति की दृष्टि से दावे के विवरणों को सत्यापित करेगा तथा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के क्रम में कोई अन्य सम्बद्ध आवश्यक सूचना को मंगायेगा। दावे के सत्यापन के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के उपबन्धों के अनुसरण में दो माह के भीतर सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की तारीख में अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को सहायता के रूप में कोई धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये जाय तो पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता आदेशित सहायता की धनराशि के बराबर की

धनराशि वापस करेगा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेशित धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। ऐसे प्रभाव के लिए पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता द्वारा सहायता की धनराशि के भुगतान करने से पूर्व एक शपथ–पत्र दिया जायेगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर चिकित्सा पर आए चिकित्सा व्यय, दाह संस्कार के रूप में ऐसे आकस्मिक अधिभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता की मात्रा को निर्णीत करेगा। सहायता पृथक–पृथक मामलों में प्रत्येक मामलें के तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकेगी।

(4) योजना के अधीन दिए जाने वाली सहायता की मात्रा, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त सहायता अर्थात् बीमा, अनुग्रही अदायगी और/अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा राज्य द्वारा संचालित कोई योजना के अधीन प्राप्त भुगतान इन नियमों के अधीन सहायता की धनराशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता धनराशि से अधिक या समतुल्य हो तो इस योजना से कोई भी सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0 59 वर्ष 1988) के अन्तर्गत आच्छादित मामले जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया है, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।

(7) पीड़ित को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थानाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र या क्षेत्र से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर तत्काल प्राथमिक सुविधा या उपलब्ध चिकित्सा लाभ निःशुल्क या कोई अन्य अनुतोष जो उचित हो, का आदेश पारित कर सकेंगे।

आदेश अभिलेखों में रखना 6. इस योजना के अन्तर्गत पारित सहायता धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखना बाध्यकारी होगी, जिससे विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने में सुलभता हो सके।

समयावधि 7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357–"क" की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा

अनुसूची–1

क०सं0	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	2	3
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/–
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीड़ा से क्षति	रू0 1,00,000/–
3	मृत्यु	रू0 2,00,000/–
4	गम्भीर चोट के लिए भारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू0 20,000/–
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा/सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू0 1,50,000/–
	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुये हों	रू0 30,000/–
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 50,000/–
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हों	रू0 10,000/–
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हों	रू0 1,00,000/–
9	अप्राप्तवय का बलात्कार	रू0 2,50,000/–
10	पुनर्वास	
	(क) बलात्कार पीड़िता के सन्दर्भ में	रू0 1,00,000/–
	(ख) अन्य प्रकरणों के सन्दर्भ में	रू0 20,000/–
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू0 10,000/–

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या– 500 /XX–3–2016–05(09)2011
देहरादूनः दिनांक 08 ~~फरवरी~~ मार्च 2016

नि0/श्री प्रदीप
8/3/16

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 357–क सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड में अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 की अनुसूची–1 के कम–6, 8 एवं 9 में अंकित धनराशि के स्थान पर निम्नानुसार धनराशि संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	हानि या क्षति का विवरण	वर्तमान सहायता की अधिकतम सीमा	प्रस्तावित सहायता की अधिकतम सीमा
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 50,000/–	रू0 2,00,000/–
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो	रू0 1,00,000/–	रू0 4,00,000/–
9	अप्राप्तवयस्क (Minor) का बलात्कार	रू0 2,50,000/–	रू0 7,00,000/–

2– इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–4250/XX–3–2012–05(09)2011 दिनांक 16 जुलाई, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 500 /XX–3–2016–05(09)2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(अजय रौतेला)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of the India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 4520 /XX(3)-05(09)/2011 Dated: 16 July, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Home Section-3
No. 4520 /XX-3-2012-05(09)2011
Dehradun: Dated: 16 July, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the Governor in co-ordination with the Central Government hereby is pleased to frame the following scheme for providing funds for the purpose of assistance and rehabilitation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime.

The Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013

Short title and commencement

1.(1) This scheme may be called the Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force from 31 December 2009.

Definitions

2. In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means State of Uttarakhand;

(d) "Victim" means a person, who himself has suffered loss or injury as a result of crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc and require rehabilitation and includes dependent family members.

Victim from crime assistance Fund

3. (1) The State Government shall establish a Victim from crime assistance Fund. Under this scheme shall be paid given amount in Schedule-1 as per manner to the victim person or his dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate Assistance amount for this scheme which shall be deposited in a corpus fund established for this purpose. The amount of this fund shall be deposited in fixed deposit account of any Nationalised Bank.

(3) Donation, Gift and Grant in aid received from government or non-government sources shall be acceptable for Assistance Fund excluding alloted budget.

(4) **The Fund shall be operated by the Director Genaral of Police and the assistance shall be paid by account payee cheqe with the joint signatures of the Principal Secretary/Secretary Home Department Government of Uttarakhand and Director Genaral of Police. The payment in the District shall be made by the account payee cheqe with the joint signature of the District Magistrate and Senior Superitendent of Police/Superitendent of Police.**

Eligibility for assistance **4.** A Victim or the dependant of victim shall be eligible for the grant of assistance if,-

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant report the crime to the Magistrate in charge or Judicial Magistrate of the area ;

Provided that the District Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant cooperate with the police and prosecution during the investigation and trial of the case.

Procedure for grant of assistance **5.** (1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub-section (2) of section 357-A of the Act to the District Legal Service Authority, the District Legal Service Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness. After verifying the claim, the District Legal

Service Authority after due enquiry shall decide the amount of assistance within two months, in accordance with provisions of this Scheme.

(2) Assistance under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trail court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of assistance under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of assistance, or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) of section 357 of the Act, whichever is less, an undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursal of the assistance amount.

(3) The District Legal Service Authority shall decide the quantum of assistance to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on medical treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The assistance may vary from case to case depending on fact of each case.

(4) The quantum of assistance to be awarded to the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund.

(5) Assistance received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/or payment received under any other Act or State-run scheme, shall be considered as part of the assistance amount under these rule and if the eligible assistance amount exceeds or is equivalent to the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, then no assistance amount shall be acceptable by this scheme.

(6) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) wherein assistance is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(7) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of

the officer-in-charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as it may deem fit.

Order to be placed on record

6. Copy of the order of assistance passed under this Scheme shall be mandatorily placed before the trial Court to enable the court to pass order of assistance under sub-section (3) of section 357 of the Act.

Limitation

7. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime by the State or District Legel Service Authority:

Provided that the State or District Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

Appeal

8. Any victim aggrieved of the denial of assistance by the District Legal Service Authority may file an appeal before the State Legal Service Authority within a period of ninety days;

Provided that the State Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

By Order,

Om Prakash

(Om prakash)
Principal Secretary.

Schedule-1

Sr.No.	Particulars of Loss or Injury	Maximum Limit of Assistance
1	2	3
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss of injury causing severe mental agony to women and child victim in case like Human Trafficking.	Rs. 1,00,000/-
3	Loss of life	Rs. 2,00,000/-
4	Grievous hurt as defined in Section 320 of the IPC 1860	Rs. 20,000/-
5	Injury caused by acid attack	
	(a) If face/ head injured	Rs. 1,50,000/-
	(b) If other organs injured	Rs. 30,000/-
6	Loss of any limb or part of body resulting 40% and below 80% handicap.	Rs. 50,000/- (now enhanced to Rs. 2,00,000)
7	Loss of any limb or part of body resulting below 40% handicap.	Rs. 10,000/-
8	Loss of any limb of part of body resulting 80% or above handicap	Rs. 1,00,000/- (now enhanced to Rs. 4,00,000)
9	Rape of Minor	Rs. 2,50,000/- (now enhanced to ~~Rs. 7,00,000~~)
10	Rehabilitation	
	(a) In the case of rape victims	Rs. 1,00,000/-
	(b) In other cases	Rs. 20,000/-
11	Simple Loss or injury to Child victim.	Rs. 10,000/-

Om Prakash

(Om Prakash)
Principal Secretary.

जारी
8/9/20

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. /Dated: for general information.

Government of Uttarakhand
Home Section-03
No. 532 /XX-3-2019-05(09)2011
Dehradun: Dated 08 September, 2020

NOTIFICATION

Whereas, Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016) is to be amended in the light of judgement Dated 11-05-2018 of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition Civil No.-565/2012 Nipun Saxena and others Vs Union of India;

And Whereas, "Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assualt/Other Crimes, 2018" prepared by National Legal Services Authority and approved by Hon'ble Supreme Court of India, is requird to be implemented in State of Uttarakhand;

And Whereas, the Scheme is proposed to be implemented as chapter of part-II of the Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016);

Now, therefore In exercise of the powers conferred by Section 357 A of the Code of Criminal Procedure, 1973 the Governor of Uttarakhand State (Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016)) hereby pleased to allow to add the following chapters for providing funds for the purpose of Compensation and rehabilitation required to the victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and to determine the amount of compensation:-

Part-II

The chapter contained in this part shall be called the Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020.

Short title, Extent and commencement

1. (1) This chapter may be called the Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes, 2020.
(2) It shall deem to have come into force from 02 October, 2018.
(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) in Uttarakhand State, who have suffered loss or injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

Definitions

2. (1) In this Scheme, unless the context or Subject otherwise requires:—
(a) **"Code"** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b)**'Dependent'** includes husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub- Divisional Magistrate of the concerned area/Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry;

(c) **"District Legal Services Authority"** means the District Legal Services Authority (DLSA)constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Act 39 of 1987) for a District of the Uttrakhand State;

(d) **'Form'** means form appended to the Scheme as applicable to this Chapter;

(e) **'Fund'** means State fund i.e. victim compensation fund constituted under the State Victim Compensation Scheme;

(f) **'Central Fund'** means funds received from CVCF Scheme, 2015;

(g) **'Women Victim Compensation Fund'** – means a fund segregated for disbursement for women victim, out of State Victim Compensation Fund and Central Fund. [Within the State Victim Compensation Fund, a separate Bank Account shall be maintained as a portion of that larger fund which shall contain the funds contributed under CVCF Scheme by MHA, GOI contributed from Nirbhaya Fund apart from funds received from the State Victim Compensation Fund which shall be utilised only for victims covered under this chapter];

(h) **'Government'** means 'State Government' wherever the State Victim Compensation Scheme or the State Victim Compensation Fund is in context and 'Central Government' wherever Central Government Victim Compensation Fund Scheme is in context;

(i) **'Injury'** means any harm caused to body or mind of a female;

(j) **'Minor'** means a girl child who has not completed the age of 18

years;

(k) **'Offence'** means offence committed against women punishable under IPC or any other law;

(l) **'Penal Code'** means Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860);

(m) **'Schedule'** means schedule appended to this Scheme/Part of the scheme;

(n) **"State Legal Services Authority"** means the State Legal Services Authority (SLSA), as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987);

(o) **"Sexual Assault Victims"** means female who has suffered mental or physical injury or both as a result of sexual offence including Sections 376 (A) to (E), Section 354 (A) to (D), Section 509 IPC;

(p) **'Woman Victim/survivor of other crime'** means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including Sections 304 B, Section 326A, Section 498A IPC (in case of physical injury of the nature specified in the schedule) including the attempts and abetment;

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined here, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure, 1973 or/and in the Indian Penal Code, 1860;

Women Victims Compensation Fund—

3. **(1)** There shall be a Fund, namely, the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The 'Women Victims Compensation Fund' shall comprise the following:-

(a) Contribution received from Central Fund;

(b) Budgetary allocation in form of Grants-in-aid to SLSA for which

necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(c) Any cost amount ordered by Civil/Criminal Tribunal to be deposited in this Fund.

(d) Amount of compensation recovered from the wrong doer/accused under Para 13 of the Scheme;

(e) Donations/contributions from International/ National/ Philanthropist/Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by State or Central Government.

(f) Contributions from companies under CSR (Corporate Social Responsibility)

(3) The said Fund shall be operated by the State Legal Services Authority (SLSA).

Eligibility for Compensation

4. A woman victim or her dependent (s) as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. Provided, the compensation received by her in the other schemes with regard to Section 357-B Cr.P.C., shall be taken into account while deciding the quantum in the such subsequent application.

Procedure for making application before the SLSA or DLSA

5. **Mandatory Reporting of FIRs-** SSP/SP/CO/SHO shall mandatorily share soft/hard copy of FIR immediately after its registration with State Legal Services Authority/District Legal Services Authority qua commission of offences covered in this Scheme which include Sections 326A, 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A (in case of physical injury covered in the Schedule), so that the SLSA/DLSA can, in deserving cases, may suo-moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation. An application for the award of interim/final compensation can be filed by the Victim and/or her Dependents or the SHO of the area before concerned SLSA or DLSA. It shall be submitted in Form 'I' along with a copy of the First Information Report (FIR) or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report, Death Certificate,

wherever applicable, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over.

Place of filing of Application

6. The application/recommendation for compensation can be moved either before the State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online on a portal which shall be created by all State Legal Services Authorities. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per the Scheme.

Explanation: In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union of India W.P.CRML 129/2006 order dated 10.04.2015 which includes Ld. District & Sessions Judge, DM, SP, Civil Surgeon/CMO of the district.

Reliefs that may be awarded by the SLSA or DLSA

7. The SLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the scheduled attached hereto.

Factors to be while deciding award compensation considerd

8. While deciding a matter, the State Legal Services Authority/District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim:

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health including counselling of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial (other than diet money);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any

other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence, whether she had to undergo Medical Termination of Pregnancy (MTP)/ give birth to a child, including rehabilitation needs of such child;

(8) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence;

(9) Whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re-integration needs of the victim;

(12) In case of death, the age of deceased, determination of her monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc;

(13) Any other factor which the SLSA/DLSA may consider just and sufficient.

Procedure for Grant of Compensation

9. (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and (3) of Section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code, to the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, for interim compensation it shall primafacie satisfy itself qua compensation needs and identity of the victim. As regards the final compensation, it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim;

Provided that in deserving cases and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, Secretary, SLSA or

Secretary, DLSA may suo moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section (5) of Section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation, Provided that in cases of acid attack an amount of Rs. 01 lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of the order. Thereafter, an amount of Rs. 2 lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment* Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the SLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s) taking into account the factors enumerated in para 8 of the Scheme, as per schedule appended to this Scheme. Provided, in deserving cases, for reasons to be recorded, the upper limit may be exceeded. Moreover, in case the victim is minor, the limit of compensation shall be deemed to be 50 percent higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this Scheme. Victims of Acid attack are also entitled to additional compensation of Rs. 01 lac under Prime Minister's National Relief Fund vide memorandum no. 24013/94/Misc./2014-CSR-III/ GoI/MHA dated 09.11.2016. Victims of Acid Attack are also entitled to additional special financial assistance up to Rs. 05 lacs who need treatment expenses over and above the compensation paid by the respective Uttarakhand State in terms of Central Victim Compensation Fund Guidelines-2016, no. 24013/94/Misc/2014-CSR.III, MHA/GoI dated 09.11.2016.

(4) The SLSA/DLSA may call from any record or take assistance from

any Authority/Establishment/Individual/ Police/Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(5) In case trial/appellate court gives findings that the criminal complaint and the allegation were false, then Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation, if any, granted in part or full under this Scheme, before the Trial Court for its recovery as if it were a fine.

The order to be placed on Record

10. Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under Section 357 of the Code. A true copy of the order shall be provided to the Investigating Officer in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent as the case may be.

Method of Disbursement of Compensation

11. (1)The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the SLSA by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the DLSA concern would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian. Provided that, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards. Interim amount shall be disbursed in full. However, as far as the final compensation amount is concerned, 75 Percent (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25 Percent (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80 Percent of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit. Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent

needs of the beneficiary at the discretion of the SLSA/ DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in FDR form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

Interim Relief to the Victim

12. The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto. Provided that as soon as the application for compensation is received by the SLSA/DLSA, a sum of Rs.5000/- or as the case warrants up to Rs. 10,000/- shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalised Bank by the Secretary, DLSA or Member Secretary, SLSA. Provided that the, interim relief so granted shall not be less than 25 per cent of the maximum compensation awardable as per schedule applicable to this Scheme, which shall be paid to the victim in totality. Provided further that in cases of acid attack a sum of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of SLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the SLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rs.2 lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

Recovery of Compensation Awarded to the Victim or her Dependent (S)

13. Subject to the provisions of sub-section (3) of Section 357A of the Code, the State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed

by him/her. The amount, so recovered, shall be deposited in Woman Victim Compensation Fund.

Dependency Certificate

14. The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended: Provided that the SLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

Minor Victims

15. If in case the victim is an orphaned minor without any parent or legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the Bank Account of the child, opened under the guardianship of the Superintendent, Child Care Institutions where the child is lodged or in absence thereof, DDO/SDM, as the case may be.

Limitation

16. Under the Scheme, no claim made by the victim or her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial. However, in deserving cases, on an application made in this regard, for reasons to be recorded, the delay beyond three years can be condoned by the SLSAs/DLSAs.

Appeal

17. In case the victim or her dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary, DLSA, they can file appeal within 30 days from the date of receipt of order before the Chairperson, DLSA. Provided that, delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded, in deserving cases, on an application made in this regard.

Repeal & Savings

18. Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

Explanation: It is clarified that this Scheme does not apply to minor victims under POCSO Act, 2012 in so far as their compensation issues are to be dealt with only by the Ld. Special Courts under Section 33 (8) of POCSO Act, 2012 and Rules (7) of the POCSO Rules, 2012.

(Nitesh Kumar Jha)
Secretary

SCHEDULE APPLICABLE TO WOMEN VICTIM OF CRIMES

S. No.	Particulars of loss or injury	Minimum Limit of Compensation (In Rs.)	Upper Limit of Compensation (In Rs.)
1.	Loss of Life	5 Lakh	10 Lakh
2.	Gang Rape	5 Lakh	10 Lakh
3.	Rape	4 Lakh	7 Lakh
4.	Unnatural Sexual Assault	4 Lakh	7 Lakh
5.	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	2 Lakh	5 Lakh
6.	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability	2 Lakh	4 Lakh
7.	Loss of any limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability	1 Lakh	3 Lakh
8.	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability	1 Lakh	2 Lakh
9.	Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation	1 Lakh	2 Lakh
10.	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility.	2 Lakh	3 Lakh
11.	In case of pregnancy on account of rape.	3 Lakh	4 Lakh
12.	**Victims of Burning:**		
a.	In case of disfigurement	7 Lakh	8 Lakh
b.	In case of loss of more than 50%	5 Lakh	8 Lakh
c.	In case of injury more than 20% and less than 50%	3 Lakh	7 Lakh
d.	In case of less than 20%	2 Lakh	3 Lakh
13.	**Victims of Acid Attack:**		
a.	In case of disfigurement of face.	7 Lakh	8 Lakh
b.	In case of injury more than 50%.	5 Lakh	8 Lakh
c.	In case of injury more than 20% and less than 50%.	3 Lakh	5 Lakh
d.	In case of injury less than 20%	3 Lakh	4 Lakh

Note: If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

जारी
08/9/20

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या–532/XX-3-2019-05(09)2011
देहरादून : दिनांक 08 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या–565/2012 निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ में दिनांक 11.05.2018 को दिये गये निर्णय के आलोक में उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013(यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) का संशोधन करना है;

और चूंकि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयार की गई "यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिला/अन्य पीड़ितों हेतु प्रतिकर योजना, 2018" जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, को उत्तराखण्ड राज्य में लागू करना आवश्यक है;

और चूंकि, इस स्कीम को उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) के भाग–II में अध्याय के रूप में लागू करना प्रस्तावित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एंव उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) में संशोधन करते हुए ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए एतद्द्वारा भाग–II में निम्नलिखित अध्याय जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

भाग–II

इस भाग में अन्तर्विष्ट अध्याय का नाम उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ 1. (1) इस अध्याय का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020" है।

(2) यह दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

(3) यह उत्तराखण्ड राज्य में पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हो अथवा क्षति हो या जैसी भी स्थिति हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

परिभाषाएँ

2. (1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में:–

(क) **"संहिता"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) **"आश्रित"** में सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष/जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर अथवा आश्रितों द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से प्रस्तुत सामग्री या अपनी जांच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा–दादी, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित है;

(ग) **"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण"** से उत्तराखण्ड राज्य के जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 के अधिनियम, 39) की धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रपत्र"** से इस अध्याय के लिए योजना के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ड.) **"निधि"** से राज्य निधि यथा– राज्य पीड़ित योजना के अन्तर्गत गठित पीड़ित प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(च) **"केन्द्रीय निधि"** से केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि योजना, 2015 से प्राप्त निधि अभिप्रेत है;

(छ) **"महिला पीड़ित प्रतिकर निधि"** से राज्य पीडित प्रतिकर निधि एवं केन्द्रीय निधि में महिला पीड़ितों के संवितरण हेतु पृथक निधि अभिप्रेत है। [राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत एक पृथक बैंक खाता उस बड़ी निधि के रूप में जिसमें राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना से प्राप्त निधि के अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत निर्भया फंड से दी निधि अन्तर्विष्ट होगी जिसका उपयोग केवल इस अध्याय से आच्छादित पीड़ितों के लिये ही किया जायेगा।];

(ज) **"सरकार"** से 'राज्य सरकार' जहां राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना या राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि सन्दर्भित है और 'केन्द्र सरकार' जहां केन्द्र सरकार पीड़ित प्रतिकर निधि योजना सन्दर्भित है अभिप्रेत है;

(झ) **"क्षति"** से किसी महिला को हुई मानसिक अथवा शारीरिक हानि अभिप्रेत है;

(ञ) **"अवयस्क"** से 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका अभिप्रेत है;

(ट) **"अपराध"** से भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत किसी महिला के विरूद्ध किया गया कोई अपराध अभिप्रेत है;

(ठ) **"संहिता"** से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधि0 सं0 45 वर्ष 1860) अभिप्रेत है;

(ड) **"अनुसूची"** से इस योजना/भाग के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) **"राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण"** से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधि0 सं0 39 वर्ष 1987) की धारा 6 के अन्तर्गत परिभाषित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ण) **"यौन अपराध पीड़ित"** से भारतीय दण्ड संहिता की, धारा 376(क) से (ड़), धारा 354 (क) से (घ) एवं धारा 509 सहित यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक अथवा दोनों रूप से पीड़ित महिला अभिप्रेत है;

(त) **"अन्य अपराध से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला"** से ऐसी महिला अभिप्रेत है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख, धारा 326क, धारा 498क (संलग्न अनुसूची में विशेषीकृत शारीरिक क्षति के मामले में) सहित किसी अपराध के परिणाम स्वरूप शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंची हो, जिसमें प्रयास एवं दुष्प्रेरण भी सम्मिलित है।;

(2) उन शब्दों और पदों जो इस योजना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 अथवा/और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में हैं।

पीड़ित महिला प्रतिकर निधि

3. (1) **'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि'** के नाम से एक निधि होगी, जिसमें से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान महिला पीड़ित या उसके आश्रित/आश्रितों को किया जाएगा, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

(2) 'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(क) केन्द्रीय निधि से प्राप्त अंशदान;

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान–सहायता के रूप में बजटीय आवंटन जिसके लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा;

(ग) सिविल/आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित कोई धनराशि, इस निधि में जमा की जायेगी;

(घ) इस योजना की प्रस्तर 13 के अन्तर्गत दोषकर्ता/अभियुक्त से वसूल की गयी मुआवजे की राशि;

(ड़)व्यक्तियों/अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/धर्मार्थसंस्थाओं/संगठनों से प्राप्त अनुदान/अंशदान (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त);

(च) सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कम्पनियों से प्राप्त अंशदान;

(3) उक्त निधि का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

प्रतिकर के लिए अर्हता

4. पीड़ित महिला या उसके आश्रित/आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को उन पर लागू होने वाली विभिन्न योजनाओं से क्षतिपूर्ति का/की पात्र माना जाएगा परन्तु, उनके द्वारा अन्य योजनाओं में प्राप्त प्रतिकर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख के अन्तर्गत ऐसे उत्तरवर्ती आवेदन में मात्रा निर्धारण करते समय विचार में लिया जायेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रक्रिया

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के तुरंत पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे ताकि धारा 326क, 354क से 354घ तक, 376क से 376ड़ तक, 304ख, 498क (अनुसूची से आच्छादित शारीरिक क्षति के मामलों में) से आच्छादित अपराधों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पात्र मामलों में अन्तरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु स्वतः तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सकें। अन्तरिम/अन्तिम प्रतिकर धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु पीड़ित अथवा उसके आश्रित अथवा सम्बन्धित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर

सकते हैं। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक शिकायत, जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया हो और यदि उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र जहां लागू हो, न्यायालय के निर्णय/संस्तुति की प्रति यदि विचारण की कार्यवाही समाप्त हो गयी हो, की प्रति के साथ प्रारूप 'I' में जमा करना होगा।

आवेदन जमा करने का स्थान 6. प्रतिकर के लिये आवेदन या तो सम्बन्धित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है अथवा इसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उसके समक्ष आये आवेदन पर योजना के अनुसार विचार करेगा।

स्पष्टीकरणः— मा0 उच्चतम न्यायालय ने W.P.CRML 129/2006 आदेश दिनांक 10.04.2015 लक्ष्मी बनाम भारत संघ में दिये गये निर्णय के अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर की धनराशि आपराधिक क्षति प्रतिकर धनराशि बोर्ड जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन होंगे।

सहायता जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकती है। 7. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को प्रतिकर संलग्न अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित सीमा तक निर्दिष्ट कर सकता है।

प्रतिकर/सहायता धनराशि अधिनिर्णीत करते समय जिन बिन्दुओं को ध्यान रखा जाना 8. हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के मामलो का निर्धारण करते समय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न कारकों को ध्यान में रखा जायेगा :—

(1) अपराध की तीव्रता तथा मानसिक अथवा शारीरिक क्षति अथवा पीड़ित द्वारा सही गयी क्षति;

(2) पीड़ित के शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सा व्यय या पीड़ित के उपचार पर खर्च होने की सम्भावना, जिसमें पीड़ित को परामर्श,दाह—संस्कार, जांच—पड़ताल/पूछताछ/परीक्षण के दौरान की गयी यात्रा, पर व्यय (आहार के पैसे के अतिरिक्त) सम्मिलित होगें;

(3) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक चोट,

चिकित्सा उपचार, जांच तथा अपराध के परीक्षण अथवा अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित शैक्षणिक अवसर की हानि;

(4) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात/शारीरिक चोट के कारण चिकित्सा परिचर्या/अन्वेषण अथवा विचारण अथवा किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप रोजगार के स्थान से अनुपस्थिति सहित रोजगार की हानि;

(5) पीड़ित का अपराधी के साथ सम्बन्ध यदि कोई है;

(6) क्या दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी अथवा निर्धारित समयावधि में दुर्व्यहार घटित हुआ;

(7) क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हुयी अथवा पीड़िता को गर्भपात कराना पड़ा अथवा पीड़िता के द्वारा बच्चे को जन्म देने की स्थिति में ऐसे बच्चे के पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताएं;

(8) क्या पीड़िता अपराध के फलस्वरूप यौन संचारित बीमारी से पीड़ित हुयी;

(9) क्या पीड़िता अपराध के कारण एड्स से पीड़ित हुयी;

(10)अपराध के फलस्वरूप पीड़िता किसी विकलांगता का शिकार हुयी;

(11)पीड़िता की वित्तीय स्थिति जिसके विरूद्ध अपराध कारित किया गया, जिससे कि उसके पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके;

(12)यदि पीड़ित/पीड़िता की मृत्यु कारित हुयी हो तब मृतका की आयु, उसकी मासिक आय, उसके आश्रितों की संख्या, जीवन सम्भाव्यता, भविष्य की पदोन्नति/विकास के अवसर आदि का निर्धारण;

(13)अन्य कोई कारक जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायपूर्ण तथा पर्याप्त समझे।

प्रतिकर स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

9. (1) जहां भी, संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) व (3) के अधीन न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिये जाने की संस्तुति की जाती है, अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाता है, तब अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मुआवजे की आवश्यकता का आंकलन और पीड़ित के पहचान की कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम मुआवजे हेतु प्रकरण की जांच और दावे से सम्बन्धित तथ्यों –अपराध घटित होने के फलस्वरूप पीड़ित को हुई क्षति/चोट अथवा पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताओं का परीक्षण किया जायेगा और दावे के निस्तारण हेतु कोई अन्य संगत सूचना को मंगा सकता है;

परन्तु पात्र प्रकरणों में अथवा तेजाब से आक्रमण के समस्त प्रकरणों में घटना घटित होने के पश्चात किसी भी समय सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतः अथवा तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन करने के पश्चात अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान करने की कार्यवाही कर सकते है जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत जांच शीघ्रता से समाप्त की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या संस्तुति की प्राप्ति से साठ दिनों से अधिक नहीं हो सकती, परन्तु तेजाब हमले के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाये जाने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रु0 01 लाख का प्रतिकर दिया जायेगा। अन्तरिम मुआवजा देने वाले आदेश के मामले को 07 दिनों के अन्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के आठ दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा। इसके बाद पीड़ित को रू0 02 लाख का भुगतान यथासम्भव शीघ्र तथा निश्चित रूप से पहले भुगतान करने के दो माह के भीतर किया जायेगा, परन्तु यह और कि इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित को अनुमन्य अनुदान आगे भी दिया जा सकेगा।
(3) मामले पर विचार करने के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, अपने समाधान पर पीड़ित को या उसके आश्रित को दिये जाने वाले मुआवजे की मात्रा का निर्णय योजना के प्रस्तर 08 में दिये गये कारकों एवं इस योजना की अनुसूची के अनुसार करेगा।

परन्तु, पात्र मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पीड़ित नाबालिग है, तो मुआवजे की सीमा को इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से 50 प्रतिशत अधिक माना जायेगा।

एसिड हमले के पीड़ित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ज्ञाप सं0 24013/94/Misc/2014–CSR-III111/GOI/MHA दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत रू0 एक लाख की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। एसिड हमले के पीड़ित जिन्हें

उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा प्रदत्त मुआवजे से अधिक की धनराशि इलाज के खर्च में दिये जाने की आवश्यकता है, की पूर्ति हेतु रू0 05 लाख तक की धनराशि अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता सी बी सी एस फन्ड मार्गदर्शिका–2016, संख्या 24013/94/Misc/2014–CSR-III 111, MHA GoI दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

(4) इस योजना के सफल/सुचारू क्रियान्वयन के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी प्राधिकारी/संस्थान/व्यक्ति विशेष/पुलिस/कोर्ट/विशेषज्ञ से कोई अभिलेख मांग सकेगा अथवा सहायता ले सकेगा।

(5) यदि परीक्षण/अपीलीय अदालत यह निष्कर्ष देती है कि आपराधिक शिकायत और आरोप झूठे थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे यदि कोई, इस योजना के अन्तर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः प्रदत्त किया गया हो की वसूली हेतु, सम्बन्धित के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में मुकदमा चला सकेगी, जैसे वह कोई जुर्माना है।

आदेश को अभिलिखित किया जाना

10. इस योजना के अन्तर्गत पारित अन्तरिम या अन्तिम मुआवजे के आदेश की प्रतिलिपि परीक्षण न्यायालय के रिकार्ड पर रखी जायेगी ताकि परीक्षण न्यायालय को संहिता की धारा 357 के अन्तर्गत मुआवजे का उचित आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। यदि मामले की जांच लम्बित है तो आदेश की सत्य प्रतिलिपि विवेचना अधिकारी व पीड़ित/उसके आश्रितों को, जैसा भी स्थिति हो, दी जायेगी।

मुआवजा राशि/ बांटे जाने की रीति

11. (1) इस तरह से दिये गये मुआवजे की धनराशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित अथवा उसके आश्रितों के एकल अथवा संयुक्त खाते में जमा करके वितरित की जायेगी। यदि पीड़ित के नाम बैंक खाता नहीं है तब सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित/आश्रित को बैंक खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करायेगा और यदि पीड़ित अवयस्क है तब अवयस्यक का खाता अभिभावक के साथ, यदि पीड़ित बाल संरक्षण संस्था में है, तब बैंक खाता संस्थान के अधीक्षक के साथ खोला जायेगा। परन्तु, यदि पीड़ित विदेशी नागरिक या शरणार्थी है तो कैश कार्ड के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अन्तरिम धनराशि पूर्ण रूप से वितरित की जायेगी। जहां तक अन्तिम मुआवजे का प्रश्न है, 75 प्रतिशत (पच्चहतर प्रतिशत) धनराशि को तीन साल की अवधि के लिये एक सावधि खाते में रखा जाएगा और शेष 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि पीड़ित/आश्रित के प्रारम्भिक खर्चों के लिये रखी जायेगी, जैसा भी मामला हो।

(2) अवयस्क के मामले में, मुआवजे की अधिनिर्णीत राशि का 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत)सावधि खाते में जमा किया जायेगा और केवल वयस्कता आयु प्राप्त करने पर ही निकाला जायेगा, लेकिन जमा के तीन साल पहले नहीं निकाला जा सकेगा परन्तु आपवादिक मामले में, शैक्षिक अथवा चिकित्सकीय आवश्यकताओं अथवा लाभार्थी की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेक पर धनराशि निकाली जा सकती है।

(3) सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज बैंक द्वारा सीधे पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक आधार पर जमा किया जायेगा जिसे हिताधिकारी द्वारा निकाला जा सकता है।

पीड़ित को अन्तरिम सहायता

12. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर अथवा स्वतः अथवा थाना प्रभारी से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर पीड़िता की पीड़ा को कम करने के लिये, जैसा भी मामला हो, तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या कोई अन्य अन्तरिम राहत (अंतरिम आर्थिक सहायता) प्रदान कर सकता है: परन्तु यह कि जैसे ही मुआवजे का आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होता है रू0 5,000(पाँच हजार रूपये) अथवा रू0 10,000(दस हजार रूपये) की धनराशि, जैसी आवश्यकता हो, राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल वितरित किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि स्वीकृत अन्तरिम राहत, जो कि इस योजना के लिये लागू होने वाले अधिकतम मुआवजे के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) से कम नहीं होगी, पीड़ित को पूर्णतः भुगतान की जायेगी;) परन्तु यह भी कि एसिड अटैक के मामले में प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाए जाने पर 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रू0 एक लाख का भुगतान किया जायेगा। प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर 07 दिनों के भीतर अन्तरिम प्रतिकर आदेश पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के 08 दिनों के भीतर मुआवजे का

भुगतान करेगा। तत्पश्चात् रू0 02 लाख (दो लाख रूपये) की अतिरिक्त धनराशि पीड़ित को यथासम्भव व निश्चित रूप से 02 माह के अन्दर प्रदान की जायेगी।

पीड़ित या उसके आश्रित /आश्रितों को दिये गये मुआवजे की वसूली

13. संहिता की धारा 357क की उपधारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उचित मामलों में, हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ व्यक्तियों से पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को स्वीकृत प्रतिकर राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर सकता हैं। उक्त धनराशि, जो वसूल की गई है, महिला पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा की जाएगी।

आश्रित प्रमाण–पत्र

14. आश्रित प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकारी इसे 15 दिन के भीतर जारी करेगा और, किसी भी मामले में, उक्त अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा;

परन्तु आश्रित प्रमाण–पत्र जारी न होने की दशा में, उक्त 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दावाकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकता है।

अवयस्क पीड़ित

15. यदि पीड़ित किसी माता–पिता या कानूनी अभिभावक के बिना अनाथ अवयस्क है तो तत्काल राहत या अन्तरिम प्रतिकर बच्चे के बैंक खाते में वितरित किया जायेगा, जिसे अधीक्षक, बाल संरक्षण संस्थान(जहां बच्चे निवासरत है) की संरक्षा में खोला गया हो अथवा ऐसा न होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ उपजिलाधिकारी की संरक्षा में, जैसा भी मामला हो।

परिसीमा

16. इस योजना के अन्तर्गत संहिता की धारा 357क की उप धारा (4) के तहत अपराध की घटना की तारीख अथवा मुकदमें की समाप्ति के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यद्यपि, पात्र मामलों में, इस सम्बन्ध में किये गये आवेदन में उल्लिखित कारणों पर, तीन साल से अधिक की देरी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छूट दी जा सकती है।

अपील

17. यदि पीड़ित अथवा उसके आश्रित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे की मात्रा से संतुष्ट नहीं है, तो वे अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं;

परन्तु पात्र मामलों में इस सम्बन्ध में दिए गये आवेदन पर अपील किये जाने में हुए विलम्ब के कारण को अभिलिखित करने पर अपीलीय प्राधिकारी इसमें छूट प्रदान कर सकता है।

निरसन एवं व्यावृत्ति

18. इस योजना की कोई बात पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को अपराधकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए जिम्मेदार है, के विरूद्ध दावा करने अथवा दीवानी मुकदमा संस्थित करने से प्रविरत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरणः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना पॉक्सो अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अवयस्क पीडितों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनके प्रतिकर सम्बन्धी मुद्दों को केवल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) एवं नियम 7 के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों द्वारा व्यवहरत किये जाते हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

अपराधों से पीड़ित महिलाओं पर लागू 'अनुसूची'

क्रम सं.	हानि या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा सीमा (रूपये में)	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा (रूपये में)
01	जीवन क्षति	5 लाख	10 लाख
02	सामूहिक बलात्कार	5 लाख	10 लाख
03	बलात्कार	4 लाख	7 लाख
04	अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न	4 लाख	7 लाख
05	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 80 फीसदी अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता	2 लाख	5 लाख
06	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 40 फीसदी से अधिक एवं 80 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	2 लाख	4 लाख
07	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 20 फीसदी से अधिक एवं 40 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	3 लाख
08	किसी भी अंग अथवा शरीर का नुकसान, जिस कारण 20 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	2 लाख
09	शारीरिक क्षति अथवा कोई मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो	1 लाख	2 लाख
10	भ्रूण की हानि अर्थात् हिंसा के फलस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि	2 लाख	3 लाख
11	बलात्कार के कारण गर्भावस्था के मामले में	3 लाख	4 लाख
	12. जलने के कारण पीड़ितः		
	विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक के मामले में	5 लाख	8 लाख
ग	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम हानि के मामले में	3 लाख	7 लाख
घ	20 फीसदी से कम के मामले में	2 लाख	3 लाख
	13. एसिड हमले में पीड़ितः		
क	चेहरे की विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक क्षति के मामले में	5 लाख	8 लाख
	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	5 लाख
घ	20 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	4 लाख

नोटः—यदि कोई यौन हिंसा/एसिड हमले में पीड़ित महिला उक्त अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होगी।